न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 151/2011 (223 आर. टी. एक्ट)

उनवान

चित्रा पुत्र श्री हुब्बा उम्र करीब 62 वर्ष जाति वघेला निवासी कासिमपुर तहसील व जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. नाहर सिंह } पुत्रगण लच्छी
2. अर्जन सिंह }
3. महावीर सिंहदेवेन्द्र } पुत्रगण उदयभान } समस्त जातिगण वघेला निवासीगण कासिमपुर
4. रामवीर } तहसील व जिला धौलपुर।
5. लाखन सिंह पुत्र अमर सिंह
6. प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक गुनपुर जिला धौलपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर धौलपुर।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर दिनांक 17.10.2011 मि.नं. 83/08 उनवानी चित्रा बनाम नाहर सिंह।

उपस्थितिः–

1. श्री सुरेन्द्र कुमार दुबे वकील अपीलांट।
2. अधिवक्ता रैस्पो0 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक–14.11.2017

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.10.2011 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट/वादी द्वारा एक वाद विरूद्ध रैस्पो0/प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी कुल किता 11 रकवा 14 बीघा 19 विस्वा वाके ग्राम कासिमपुर तहसील धौलपुर, अपीलाण्ट/वादी एवं रैस्पो0/प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजी है, जिसका बॅटवारा नहीं हुआ है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड, बॅटवारा किया जाकर अपीलाण्ट/वादी का खाता पृथक से किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई दिनांक 23.05.2011 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर, कुर्रे प्रस्ताव तलब किये गये एवं मुताबिक कुर्रे प्रस्ताव

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.05.2011 से अन्तिम डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बार–बार आवाज दिलवाये जाने के बाबजूद, ना तो वकील रैस्पो0 एवं ना ही रैस्पो0 उपस्थित आये। अतः बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा अपनी बहस में, अपील मीमो के कथनों को दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन डिक्री, विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्यायिक दृष्टांतो के विपरीत है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री के मुताबिक तहसीलदार, धौलपुर को स्वयं मौके पर जाकर उभयपक्षों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु आदेशित किया गया था। किन्तु विभाजन प्रस्ताव हल्का पटवारी द्वारा तैयार कर भेजे गये हैं, जो सर्वथा विधिक प्रावधानों के विपरीत हैं, उक्त विभाजन प्रस्तावों पर अपीलाण्ट ने एतराज प्रस्तुत किया, जिसमें यह उल्लेखित किया गया था कि विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय नियमों की सर्वथा अनदेखी की गई है, विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों के कब्जें को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाये गये हैं एवं खसरा नम्बर 676 रकवा 01 बीघा 01 विस्वा, जिस पर अपीलाण्ट का 1/2 भाग पर कब्जा काश्त है, का सम्पूर्ण भाग रैस्पो0/प्रतिवादीगण को दे दिया गया है। अपीलाण्ट के उक्त एतराज प्रार्थना पत्र पर रैस्पो0/प्रतिवादीगण की ओर अधीनस्थ न्यायालय में कोई जबावदेही पेश नहीं की गई, बाबजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाना रवैया अखत्यार कर, अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र, एतराज विभाजन प्रस्ताव खारिज कर, दावा अंतिम डिक्री कर दिया। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय, राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है एवं मुताबिक राजीमाना दिनांक 21.07.2015 के खिलाफ अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलाण्ट के तर्को पर मनन किया। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा वक्त बहस, खसरा नम्बर 676 रकवा 01 बीघा 01 विस्वा पर अपना 1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त बताते हुए, अपीलाधीन आदेश में उक्त खसरा नम्बर का सम्पूर्ण भाग रैस्पो0/प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 को दिये जाने की आपत्ति जाहिर की गई है। इसके विपरीत रैस्पो0/प्रतिवादीगण द्वारा अपने जबाव दावा मय काउण्टर क्लेम में, विवादित आराजीयात का पूर्व में बाहमी बॅटवारा होने का विवरण दिया गया है। परन्तु उक्त काउण्टर क्लेम के उत्तर में, अपीलाण्ट/वादी द्वारा अपने कब्जें के खसरा नम्बरो का कोई विवरण नहीं दिया है। यदि अपीलाण्ट/वादी, खसरा नम्बर 676 पर, स्वयं का हिस्सा मानते हैं, तो रैस्पो0/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम, के जवाव में स्पष्ट करना चाहिए था। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा, दावा दिनांक 23.05.2011 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर, पक्षकारों को कुर्रेजात पर आपत्ति पेश करने का समुचित अवसर देते हुए, दिनांक 17.10.2011 को अन्तिम डिक्री किया गया है। अपीलाण्ट/वादी द्वारा प्रस्तुत, आपत्ति प्रार्थना पत्र में खसरा नम्बर 676 बाबत् कोई आपत्ति अंकित नहीं की गयी है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट द्वारा पक्षकारों के मध्य, राजीनामा/सहमति पत्र दिनांक 21.07.2015 का होना कथन करते हुए, राजीनामा के आधार पर, डिक्री पारित नहीं

करने की आपत्ति बाबत् हम पाते हैं कि कथित राजीनामा दिनांक 21.07.2015 का, जबकि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.10.2011 को, उससे लगभग 04 वर्ष पूर्व पारित हो चुका था। अतः राजीनामा के आधार पर अपीलाधीन निर्णय को चुनौती देना, अनुचित है। तहसीलदार, धौलपुर द्वारा अपने पत्र क्रंमाक/आर.ए./11/895 दिनांक 23.09.2011 से, अधीनस्थ न्यायालय को लिखा है कि आदेशो की पालना में चाहे गये, विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भेजे जा रहे हैं एवं भेजे गये कुर्रे प्रस्तावो पर तहसीलदार के हस्ताक्षर मौजूद हैं। अतः अपीलाण्ट/वादी का यह कथन कि, कुर्रे प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किये, मान्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राप्त आपत्तियों की अपीलाधीन निर्णय में विवेचना कर, आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जिसमें हम हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं। अपीलाण्ट /वादी द्वारा, आपत्ति प्रार्थना पत्र में खसरा नम्बर 676 में अपना हिस्सा नहीं बताया है, यहॉ तक अपील मीमो में भी यह उल्लेख नहीं है कि अपीलाधीन निर्णय से अपीलाण्ट/वादी के अधिकारों पर क्या विपरीत प्रभाव पड रहा है। अपील मीमो में मात्र तकनीकी आपत्तियॉ की गई हैं। अपील किसी प्रकरण को अनावश्यक लम्बित रखने का माध्यम नहीं बनाया जा सकता। उपरोक्त विवेचनानुसार, अपील अपीलाण्ट सारपूर्ण नहीं है। लिहाजा हम खारिज योग्य पाते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.10.2011 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 14.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official